

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 221/2024

दायर दिनांक 14.08.2024

वादी

1. दीन मो० पुत्र उमर खां
जाति शैरानी निवासी
नजमिया मौहल्ला, शैरानी
आबाद तहसील छोटी खाटू,
जिला डीडवाना-कुचामन
राज०।

प्रतिवादीगण

1. जलाल खां पुत्र उमर खां
2. गनी खां पुत्र उमर खां
3. अहमद रज्जा पुत्र बदरुदीन
4. फरजाना बानों पुत्री बदरुदीन
5. रूखसाना बानों पुत्री बदरुदीन
6. जैतुन पत्नी बदरुदीन
7. अब्दुल जबार पुत्र लाल मोहम्मद
8. अब्दुल गफार पुत्र लाल मोहम्मद
9. युनुस खान पुत्र लाल मोहम्मद
10. मे० युसुफ पुत्र लाल मोहम्मद
11. मदीना बानो पुत्री लाल मोहम्मद
12. हसीना बानों पुत्री लाल मोहम्मद
13. जरीना बानों पुत्री लाल मोहम्मद
14. बाना बेगम पत्नी लाल मोहम्मद
15. सलामत पुत्री उमर खां
16. रहमत पुत्री उमर खां
17. अमराव बानों पुत्री उमर खां
18. मोहम्मद अली पुत्र महबूब खां
19. अकरम अली पुत्र महबूब खां
20. अहमद अली पुत्र महबूब खां
21. जनत बानों पुत्री महबूब खां
22. जैना पुत्री महबूब खां
23. जरीना बानों पुत्री महबूब खां
24. बाना पुत्री महबूब खां
25. रूकसाना उर्फ रूकिया पुत्री महबूब खां
26. रफीका बानों पुत्री महबूब खां
27. सुबानी पत्नी महबूब खां
28. इकबाल पुत्र मनोर खां
29. रजाक खान पुत्र मजीद खां
30. शोकत अली पुत्र मजीद खां
31. जकिर हुसैन पुत्र मजीद खां
32. जमील खान पुत्र मजीद खां
33. एमना पुत्री मजीद खां
34. जुबेदा बेगम पत्नी मजी खां समस्त जाति
शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद हाल
निवासी हमीदपुर तहसील छोटी खाटू,
जिला डीडवाना-कुचामन राज०। प्रतिवादी
सं० 18 ता 27 हाल हसबर बड़ी खाटू,
तहसील जायल।
35. तहसीलदार छोटी खाटू।

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो० युनुस सलीम वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 19, 21 ता 29, 31, 33 व
34।



Wikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

-: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 15.04.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 34 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं० 129 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 130 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 131 रकबा 0.1600 हैक्टे०, खसरा सं० 132 रकबा 0.2600 हैक्टे०, खसरा सं० 145 रकबा 0.6400 हैक्टे०, खसरा सं० 146 रकबा 0.0400 हैक्टे०, 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 147 रकबा 0.5200 हैक्टे० कुल खसरे 7 कुल रकबा 1.7700 हैक्टे० वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद भू०अ०नि० क्षेत्र खादू खुर्द तहसील छोटी खादू के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.12.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खादू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खादू ने अपने पत्र क्रमांक:भू०अ०/2025/128 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खादू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खादू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खादू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2025/128 दिनांक 10.02.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-: आदेश :-

अतः दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद में खेत खसरा सं० 129 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 130 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 131 रकबा 0.1600 हैक्टे०, खसरा सं० 132 रकबा 0.2600 हैक्टे०, खसरा सं० 145 रकबा 0.6400 हैक्टे०, खसरा सं० 146 रकबा 0.0400 हैक्टे०, 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 147 रकबा 0.5200 हैक्टे० कुल खसरे 7 कुल रकबा 1.7700 हैक्टे० भूमि का वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 34 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2025/128 दिनांक 10.02.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खादू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक: भू०अ०/2025/128 दिनांक 10.02.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो।

ikas
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 221/2024 दायर दिनांक 14.08.2024

वादी

1. दीन मो० मुत्र उमर खां
जाति शैरानी निवासी
नजमिया मौहल्ला, शैरानी
आबाद तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना-कुचामन
राज०।

प्रतिवादीगण

1. जलाल खां पुत्र उमर खां
2. गनी खां पुत्र उमर खां
3. अहमद रज्जा पुत्र बदरुदीन
4. फरजाना बानों पुत्री बदरुदीन
5. रुखसाना बानों पुत्री बदरुदीन
6. जैतुन पत्नी बदरुदीन
7. अब्दुल जबार पुत्र लाल मोहम्मद
8. अब्दुल गफार पुत्र लाल मोहम्मद
9. युनुस खान पुत्र लाल मोहम्मद
10. मे० युसुफ पुत्र लाल मोहम्मद
11. मदीना बानों पुत्री लाल मोहम्मद
12. हसीना बानों पुत्री लाल मोहम्मद
13. जरीना बानों पुत्री लाल मोहम्मद
14. बाना बेगम पत्नी लाल मोहम्मद
15. सलामत पुत्री उमर खां
16. रहमत पुत्री उमर खां
17. अमराव बानों पुत्री उमर खां
18. मोहम्मद अली पुत्र महबूब खां
19. अकरम अली पुत्र महबूब खां
20. अहमद अली पुत्र महबूब खां
21. जनत बानों पुत्री महबूब खां
22. जैना पुत्री महबूब खां
23. जरीना बानों पुत्री महबूब खां
24. बाना पुत्री महबूब खां
25. रुकसाना उर्फ रुकिया पुत्री महबूब खां
26. रफीका बानों पुत्री महबूब खां
27. सुबानी पत्नी महबूब खां
28. इकबाल पुत्र मनोर खां
29. रजाक खान पुत्र मजीद खां
30. शोकत अली पुत्र मजीद खां
31. जकिर हुसैन पुत्र मजीद खां
32. जमील खान पुत्र मजीद खां
33. एमना पुत्री मजीद खां
34. जुबेदा बेगम पत्नी मजी खां समस्त जाति
शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद हाल
निवासी हमीदपुर तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना-कुचामन राज०। प्रतिवादी
सं० 18 ता 27 हाल हसबर बड़ी खाटू
तहसील जायल।
35. तहसीलदार छोटी खाटू।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक 15.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 19, 21 ता 29, 31, 33 व 34 की ओर स मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद में खेत खसरा सं० 129 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 130 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 131 रकबा 0.1600 हैक्टे०, खसरा सं० 132 रकबा 0.2600 हैक्टे०, खसरा सं० 145 रकबा 0.6400 हैक्टे०, खसरा सं० 146 रकबा 0.0400 हैक्टे०, 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 147 रकबा 0.5200 हैक्टे० कुल खसरे 7 कुल रकबा 1.7700 हैक्टे० भूमि का वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 34 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2025/128 दिनांक 10.02.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खादू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2025/102 दिनांक 10.02.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.04.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

| | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|--|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक | - | - | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |
| | | | | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Wks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना